संख्या-3070/11-3-2014-7 (112)/97

प्रेषक,

हरेन्द्रवीर सिंह
विशेष सचिव,
उ0 प्र0, शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-3 **लखनऊःदिनांकः 20 अक्टूबर, 2014**

विषयः- वाणिज्य कर विभाग मे वैट अधिनियम-2008 के लागू होने के उपरान्त वाणिज्य कर की वसूली हेतु पूर्व में नायब तहसीलदार के सृजित अस्थायी पदों का पदनाम परिवर्तन किए जाने के संबंध में।

महोदय,

बिक्रीकर (वाणिज्य कर) की वसूली योजना के विस्तार हेतु शासनादेश संख्या-वि0क0-4-240/दस-87-2/87, दिनांक 13-10-1987 के द्वारा सात नयी इकाईयों की स्थापना के लिये पदों के सृजन एवं आवश्यक धनराशि की स्वीकृति के तहत वेतनमान रू0 515-15-590- 18-626-द0रो0-18-680-20-780-द0रो0-20-860 के अन्तर्गत 06 नायब तहसीलदार के अस्थायी पदो के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इन पदों पर तैनाती राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार के पदों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती रही है।

2. सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 13-10-1987 द्वारा सृजित 06 अस्थायी नायब तहसीलदार के पदों को वाणिज्य कर विभाग के पूर्णतयः निवर्तनाधीन रखते हुये पदनाम संग्रह अधीक्षक (वाणिज्य कर) वेतनबैण्ड रू0 9300-34800/- एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये पूर्व प्रेषित उ0प्र0 वाणिज्य कर संग्रह अमीन सेवानियमावली में तद्नुरूप आवश्यक संशोधन की कार्यवाही कर अतिशीघ्र प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-3070 (1)/11-3-2014-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-9।
(4) वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1।
(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रभु शंकर)
संयुक्त सचिव।